

दिनांक	आज्ञा पत्र	
30.11.23	<p>45199/19 पेश। वकील अपीलान्त न उर्ध्वस्थत हाकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कर होकर बाद तरतीफ नकमील दाखिल दफनर हो।</p> <p>ndL</p>	<p>Not processed Singh</p>